सप्तदश

बिहार विधान सभा

षष्ठम सत्र

अल्पसूचित प्रश्न

वर्ग-2

मंगलवार, तिथि $\frac{\text{07 आषाढ़, 1944 (श०)}}{\text{28 जून, 2022 (ई०)}}$

प्रश्नों की कुल संख्या **18**

(1)	शिक्षा विभाग	.. ..	10
(2)	समाज कल्याण विभाग	.. ..	05
(3)	परिवहन विभाग	.. ..	02
(4)	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	.. ..	01
		कुल योग --	18

अनुदान की राशि का आवंटन करना

11. श्री अजय कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-166 जमालपुर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में वित्त रहित इंटर संस्थानों के बकाया अनुदान के लिये 750 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था, जिसमें से मात्र 390 करोड़ ही रिलीज किया गया, यदि हाँ, तो सरकार वित्त रहित संस्थानों को कबतक बजट प्रावधान के अनुरूप अनुदान की राशि का आवंटन करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--वस्तुस्थिति यह है कि वित्त रहित अनुदानित माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को अनुदान हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल 3,87,47,00,000 (तीन अरब सतासी करोड़ सैंतालीस लाख) रुपये मात्र बजटीय उपबंध में उपलब्ध था । बजटीय उपबंध में प्राप्त राशि पर वित्त विभाग की सहमति प्राप्त कर कुल 3,87,47,00,000 (तीन अरब सतासी करोड़ सैंतालीस लाख) रुपये का विपत्र तैयार कर कोषागार में ऑनलाइन विपत्र स्वीकृति हेतु उपस्थापित किया गया था, परन्तु तकनीकी कारणों से विपत्र की स्वीकृति प्रदान नहीं की गई, जिससे राशि की निकासी नहीं हो सकी । वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल राशि मो0 4,62,50,01,000 (चार अरब बासठ करोड़ पचास लाख एक हजार) रुपये का बजटीय उपबंध उपलब्ध है, जिसकी निकासी की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है ।

पदाधिकारियों पर कार्रवाई

'क'-12. श्री ऋषि कुमार (क्षेत्र संख्या-220 ओबरा)--स्थानीय दैनिक समाचार-पत्र में, दिनांक 30 मई, 2022 को प्रकाशित शीर्षक "पर्यटकों के लिये करोड़ों में खरीदी 10 बसे, 10 साल भी नहीं चली, यार्ड में पड़ी-पड़ी सड़ रही" के आलोक में क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि विभाग द्वारा 13 वर्ष पूर्व 4 करोड़ की लागत से 4 वॉल्वों बस की खरीद की गई थी, जिसे पर्यटकों को दर्शनीय स्थलों की सैर करवाने के साथ ही पटना-राँची के बीच परिचालन किया जाता था, परन्तु वर्ष 2019 के पूर्व बसों में छोटी-मोटी तकनीकी खराबियों को विभागीय पदाधिकारियों की अनदेखी के कारण महज तीन लाख की राशि खर्च नहीं किये जाने से वे सभी बसे वर्तमान समय में कबाड़ बन चुका है, यदि हाँ, तो सरकार लोकधन की राशि की हानि कराने वाले पदाधिकारियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बी0टी0ई0टी0 का आयोजन

13. श्री चन्द्रशेखर (क्षेत्र संख्या-73 मधेपुरा)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि एन0सी0टी0ई0 के अनुसार राज्य सरकार को प्रत्येक वर्ष टीगई0टी0 आयोजित करनी है, परंतु बिहार सरकार द्वारा वर्ष 2017 के बाद BTET आयोजित नहीं की गई है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक BTET आयोजित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नोट--'क' परिवहन विभाग से पर्यटन विभाग में स्थानांतरित ।

अवैध निकासी की उच्चस्तरीय जाँच

14. श्री ललित कुमार यादव (क्षेत्र संख्या-82 दरभंगा ग्रामीण)--क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के 544 बाल विकास परियोजनाओं के अन्तर्गत 1.14 लाख आँगनबाड़ी केन्द्रों में "प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना" का संचालन गर्भवती/धात्री महिलाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सुधार तथा गर्भावस्था के समय दैनिक मजदूरी की हानि की भरपाई के लिये चलाया जा रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद (रफीगंज, ओबरा, हसपुरा एवं अन्य परियोजना) में 1 करोड़, मुजफ्फरपुर (काँटी एवं अन्य) में 5 लाख तथा मधुबनी (हरलाखी, लदनिया, पंडौल एवं अन्य) में 20 लाख का गलत भुगतान सहित राज्य के अन्य जिलों में भी अवैध भुगतान की गई है ;

(3) यदि हाँ, तो क्या सरकार "प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना" अन्तर्गत पूरे राज्य के 544 परियोजनाओं में हुई अवैध निकासी की उच्चस्तरीय जाँच कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

औचित्य बतलाना

15. डॉ0 रामानुज प्रसाद (क्षेत्र संख्या-122 सोनपुर)--स्थानीय दैनिक समाचार-पत्र के दिनांक 15 मार्च, 2022 को प्रकाशित शीर्षक "राज्य में आठवीं के बाद 39 फीसदी बच्चे छोड़ देते हैं पढ़ाई" के आलोक में क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि प्रदेश में उच्च प्राथमिक स्तर यानी मध्य विद्यालय जाते-जाते 38.8 फीसदी बच्चे पढ़ाई छोड़ दे रहे है, सरकार द्वारा संचालित साइकिल, पोशाक एवं छात्रवृत्ति जैसी प्रोत्साहन योजनाओं के बावजूद मध्य विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या में हो रहे कमी का औचित्य क्या है ?

वायु प्रदूषण पर नियंत्रण

16. श्री अजीत शर्मा (क्षेत्र संख्या-156 भागलपुर)--स्थानीय दैनिक समाचार-पत्र के दिनांक 22 मई, 2022 में प्रकाशित समाचार शीर्षक "वायु प्रदूषण से बिहार में साल में 14,762 करोड़ रुपये की क्षति, अनुमानित 40 विभागों का सलाना बजट भी इतना नहीं" के आलोक में क्या मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि लैंसेट की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि वायु प्रदूषण जनित बीमारियों की वजह से असमय मौतों के कारण बिहार को एक वर्ष में 14,762 करोड़ रुपये का आर्थिक नुकसान हुआ है, जो राज्य की कुल जी0डी0पी0 का 1.95 प्रतिशत है, यदि हाँ, तो सरकार वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु कौन-से कदम उठाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--उत्तर अस्वीकारात्मक है । बिहार राज्य में वायु प्रदूषण से सलाना क्षति के आलोक में सूचित करना है कि लैंसेट एक इंटरनेशनल मेडिकल जरनल है, इसमें प्रकाशित रिपोर्ट में डाटा (Data) के स्रोत की जानकारी नहीं दी गयी है । इस रिपोर्ट की सम्पुष्टि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार अथवा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली के द्वारा नहीं किया गया है । इस संबंध में राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद से भी आँकड़ों की माँग संबंधित शोधकर्ताओं द्वारा नहीं की गयी है तथा इस संबंध में कोई जानकारी पर्षद के पास उपलब्ध नहीं है ।

बिहार राज्य के तीन शहरों (यथा पटना, मुजफ्फरपुर एवं गया) को राज्य सरकार द्वारा इन शहरों की वायु गुणवत्ता में सुधार हेतु 'वायु गुणवत्ता सुधार परियोजना' तैयार किया गया है । इसके अन्तर्गत इन शहरों के परिवेशीय वायु की गुणवत्ता के सुधार हेतु भिन्न-भिन्न कदम उठाये जा रहे हैं । जिसपर राज्य सरकार एवं उनके अधीन संबंधित विभागों (यथा नगर निगम/परिषद/पंचायत, सड़क निर्माण विभाग एवं बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद आदि) द्वारा सुझाऐं गये संबंधित प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था पर कार्य आरंभ किया जा चुका है ।

किताबों के लिये राशि की स्वीकृति

17. श्री शकील अहमद खाँ (क्षेत्र संख्या-64 कदवा)--स्थानीय दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 16 अप्रील, 2022 को प्रकाशित शीर्षक "डेढ़ करोड़ से अधिक बच्चों को किताब के लिये होगा इंतजार" को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य के सरकारी स्कूलों में नया सत्र 2022-23 में कक्षाएँ 1 अप्रील से संचालित हो रही है परंतु आजतक 1.5 करोड़ से अधिक बच्चों के लिये किताब खरीदने के लिये पैसे सरकार की तरफ से नहीं दिये गये हैं, जबकि केन्द्र सरकार द्वारा बच्चों को किताब खरीदने के लिये 520 करोड़ की स्वीकृति दे दी गई, यदि हाँ, तो सरकार इन बच्चों को समय किताब के पैसे देने हेतु कौन-सी कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

औचित्य बतलाना

18. श्री भाई वीरेन्द्र (क्षेत्र संख्या-187 पनेर)--स्थानीय दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 6 जून, 2022 को प्रकाशित शीर्षक "शहर की सड़कों पर बिना प्रदूषण प्रमाण-पत्र के दौड़ रही नगर निगम की 1,000 गाड़ियाँ" के आलोक में क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना जिलान्तर्गत पटना नगर निगम, फुलवारीशरीफ, दानापुर एवं खगौल में कुड़ा उठाव करने वाली करीब 2,000 से अधिक गाड़ियाँ विभागीय पदाधिकारियों को तथ्यों नहीं देने के कारण बिना प्रदूषण प्रमाण-पत्र (पोल्यूशन सर्टिफिकेट) के ही शहर के सड़कों पर दिन-रात दौड़ते हैं, जिसके कारण वायु प्रदूषित होने से शहरवासी आये दिन अनेक प्रकार के गंभीर बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त वर्णित गाड़ियों का प्रदूषण प्रमाण-पत्र की जाँच कराने के साथ ही इसके लिये दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

दिव्यांगजनों को ऋण दिलाना

19. श्री पवन कुमार जायसवाल (क्षेत्र संख्या-21 ढाका)--क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में दिव्यांगजनों को खुद का व्यवसाय स्थापित करने एवं आर्थिक सहायता देने के उद्देश्य से 'दिव्यांग स्वावलम्बन योजना' अन्तर्गत विभिन्न बैंकों से 10 लाख तक का ऋण एवं नेशनल हैन्डीकैप फाइनेंस एवं डेवलपमेंट कार्पोरेशन (NHFDC) से 50 हजार से 25 लाख तक ऋण देने का प्रावधान है ;

(2) क्या यह बात सही है कि बिहार में दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने हेतु उक्त दोनों योजना के तहत मात्र 43 दिव्यांगजनों को लाभान्वित किया गया है जबकि 11,513 दिव्यांगजनों का आवेदन अभी भी लम्बित है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राज्य के दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने एवं उक्त योजनाओं का लाभ दिलाने के उद्देश्य से प्रचार-प्रसार तथा समस्या के मूल कारणों का निराकरण हेतु नोडल पदाधिकारी बनाकर कैम्प के माध्यम से ऋण दिलाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

विभागीय निर्देश का पालन

20. श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन (क्षेत्र संख्या-133 समस्तीपुर)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि शिक्षा विभाग द्वारा संकल्प संख्या 11/वि-1-220/2007/538, दिनांक 19 मई, 2009 के माध्यम से राज्य में वित्त सहित शिक्षा नीति को समाप्त करते हुये स्थापना अनुमति की प्रस्वीकृति प्राप्त माध्यमिक विद्यालय/इंटर महाविद्यालय को अनुदान देने के लिये नीति का निर्धारण किया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि सत्र 2006-08 से सत्र 2013-15 तक प्रस्वीकृति प्राप्त माध्यमिक विद्यालय/इंटर महाविद्यालय को विभाग द्वारा अनुदान की राशि उपलब्ध करा दिया गया है, जिसका उपयोगिता प्रमाण-पत्र विभाग को समर्पित किया गया है, में अनुदान राशि वितरण संबंधी विभागीय मार्गदर्शन का पालन नहीं किया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार अनुदान राशि वितरण संबंधी उपयोगिता प्रमाण-पत्र का ऑडिट कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

आँगनबाड़ी केन्द्रों पर कार्यरत कर्मियों का मानदेय

21. श्री मुकेश कुमार यादव (क्षेत्र संख्या-27 बाजपट्टी)--क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि एकीकृत बाल विकास सेवा (ICDS) के अन्तर्गत गाँव में आँगनबाड़ी केन्द्रों पर कार्यरत आँगनबाड़ी सेविका को एक दिन का मजदूरी 198.33 रुपया पैसे एवं सहायिका को 98.33 रुपया पैसा एवं कुशल मजदूर को 306 रुपये तथा अकुशल मजदूर को 232 रुपये दिया जाता है, जो कि एक दैनिक मजदूर से भी कम है ;

(2) क्या यह बात सही है कि दूसरे राज्यों दिल्ली में सेविका को मासिक 9,678 रु0 सहायिका 4,839 रु0 महाराष्ट्र में सेविका को मासिक 9,500 रु0 एवं सहायिका को 7,500 रु0 है, जो कि बिहार की अपेक्षा काफी अधिक है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार इन समस्याओं को दूर करने की दिशा में क्या विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पेंशन का लाभ दिया जाना

22. श्री पवन कुमार जायसवाल (क्षेत्र संख्या-21, ढाका)--क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बिहार में 6 लाख 13 हजार दिव्यांगजन प्रमाण-पत्र रहते हुये भी पेंशन तथा सहायता उपकरण एवं 4 लाख 97 हजार बुजुर्ग वृद्धा पेंशन तथा 2 लाख 14 हजार 300 महिलाएँ विधवा पेंशन के लाभ से वंचित है, यदि हाँ, तो सरकार राज्य में पेंशन से वंचित वृद्धजनों, दिव्यांगजनों एवं विधवा महिलाओं को शत-प्रतिशत पेंशन ससमय उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बिहार राज्य महिला आयोग के भंग होने का औचित्य

23. श्री भाई वीरेन्द्र (क्षेत्र संख्या-187 मनेर)--स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 29 मई, 2022 को प्रकाशित शीर्षक "जिस महिला आयोग को सिविल कोर्ट का पावर, वह डेढ़ साल से भंग" के आलोक में क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य महिला आयोग, पटना पिछले डेढ़ वर्षों से भंग है, जबकि पूर्व से ही न्याय हेतु कुल 4687 मामले प्रताड़नों एवं यातनाओं के लम्बित रहने से प्रताड़ितों को न्याय मिलने की कोई उम्मीद नहीं है, यदि हाँ, तो 4,687 मामले लम्बित रहने के बावजूद उक्त आयोग को भंग करने का औचित्य क्या है ?

सत्र दुरुस्त करना

24. श्री अजीत शर्मा (क्षेत्र संख्या-156 भागलपुर)--स्थानीय दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 1 जून, 2022 को प्रकाशित शीर्षक "शिक्षा मंत्री के दरबार में बिलख पड़ी छात्रा, कहा तीन साल की पढ़ाई छः साल में पूरी नहीं" क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मगध विश्वविद्यालय में तीन साल का सेशन पूरा होने में छः साल से भी अधिक समय लग रहा है, जिसके कारण बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो रहा है और यही स्थिति राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक राज्य के विश्वविद्यालयों के सेशन को दुरुस्त करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

शिक्षकों की नियुक्ति

25. मो0 आफाक आलम (क्षेत्र संख्या-58 कसबा)--स्थानीय दैनिक समाचार-पत्र में प्रकाशित शीर्षक "शिक्षक के बिना बंद हो गये 91 अल्पसंख्यक प्राथमिक स्कूल" को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य के 38 जिलों के अल्पसंख्यक प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक नहीं होने से 91 अल्पसंख्यक प्राथमिक स्कूल बंद हो गये हैं, यदि हाँ, तो सरकार इन अल्पसंख्यक प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति कर बंद पड़े इन विद्यालयों को कबतक प्रारंभ कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

महिला एवं विकलांग शिक्षकों को उनके गृह जिला में स्थानान्तरित करना

26. डॉ0 सी0 एन0 गुप्ता (क्षेत्र संख्या-118 छपरा)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि नियोजित महिला एवं विकलांग शिक्षकों को नियोजन एवं सेवा शर्त नियमावली के तहत गृह जिला में स्थानान्तरित करने का प्रावधान किया गया था ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त नियमावली के प्रवृत्त होने की एक लम्बी अवधि के बाद भी स्थानान्तरण की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की गई है, जिसके कारण इनमें काफी असंतोष एवं निराशा व्याप्त है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार नियोजित महिला एवं विकलांग शिक्षकों को उनके गृह जिला में कबतक स्थानान्तरित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

डिग्री देना

27. श्री सुधाकर सिंह (क्षेत्र संख्या-203 रामगढ़)--स्थानीय दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 17 मई, 2022 को प्रकाशित शीर्षक "पटना को छोड़ सभी वि0 वि0 में 3 साल के स्नातक में पाँच व 2 साल के पी0जी0 कोर्स में लग रहे 4 साल" को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार के वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय सहित अन्य वि0वि0 में सत्र में देरी के वजह से छात्रों को स्नातक की डिग्री 5 साल एवं पी0जी0 की डिग्री 4 साल में मिल रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि सत्र में हो रही देरी से छात्रों को बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, छात्रों को नौकरी पाने में 2 साल की देरी होती है एवं छात्र 2 साल बाद प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेता है, जिससे वे कैरियर के महत्वपूर्ण 2 साल गवां देता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय सहित अन्य वि0वि0 में सत्र में हो रही देरी को खत्म कर ससमय छात्रों को स्नातक एवं पी0जी0 की डिग्री देने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिये उपाय करना

28. श्री संजय सरावगी (क्षेत्र संख्या-83 दरभंगा)--स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 28 मई, 2022 अंक में प्रकाशित शीर्षक "बिहार के 81 प्रतिशत छात्र समझ नहीं पाते शिक्षक की बात" को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि नेशनल अचीवमेंट सर्वे के अनुसार राज्य के तीसरी कक्षा के 81 प्रतिशत, पाँचवीं कक्षा के 83 प्रतिशत और आठवीं कक्षा के 88 प्रतिशत बच्चे शिक्षकों की पढ़ाई को नहीं समझ पाते ;

(2) क्या यह बात सही है कि नेशनल अचीवमेंट सर्वे, 2021 के अनुसार सरकारी विद्यालयों में शिक्षा का स्तर लगातार गिर रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सरकारी विद्यालयों में कक्षा 1 से आठवीं तक के छात्र-छात्राओं के लिये गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिये क्या उपाय करना चाहती है ?

पटना :
दिनांक 28 जून, 2022 (ई0) ।

पवन कुमार पाण्डेय,
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा ।

बि0स0मु0, 22(एल0ए0), 2022-27-डी0टी0पी0-550